अ. अ. 93/14 शिवभगवान - भागीरथ

दिनांक	आज्ञा पत्र
20.1.23	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से [illegible] शेष रेस्पोर्डेटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश [illegible] आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.[illegible] अपील खारिज कर दी जावेगी। तहत [illegible] पत्रावली रहे / तलब किया जावें। [illegible] तलबी दिनांक 09.3.23 को पेश हों। [illegible] में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।
09.3.23	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आ. न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 29.5.23 को पेश हो।
29.5.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 80 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 11.7.23 को पेश हो।
11.7.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 80 5(4) पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 12.7.23 को पेश हो।
12.7.23	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोर्डेटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांट में रैस्पोर्डेटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय रो इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर